महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को ठोका ! महिला और बच्चे की मौके पर मौत ! गुस्साई भीड़ ने किया चक्काजाम, ट्रक को किया आग के हवाले

कवर्धा। आज दोपहर करीब डेढ़ बजे कवर्धा क्षेत्र के लोहार थाना के अंतर्गत ग्राम तालपुर के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। यहां एक ट्रक ने बाइक में सवार तीन लोगों को पीछे से ठोकर मारी। जिसमें एक महिला एवं बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वही व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में जारी है।

गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया तथा सड़क जाम भी कर दिया। गुस्साई भीड़ मुआवजे की मांग कर रही है। ट्रक में डाउनलोड था जो रायपुर की ओर जा रहा था।

25 जनवरी तक मतदाता सूची में जुड़ सकेगा नाम

रायगढ़। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां आरंभ कर दी है। 26 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। 25 जनवरी 2019 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि रहेगी। 25 जनवरी तक लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है। जिले में लगभग 1084132 मतदाता है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। इसी तरह 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि, 11 फरवरी 2019 के पूर्व दावा/आपत्तियों का निराकरण, 18 फरवरी 2019 के पूर्व डाटाबेस का अद्यतनीकरण एवं पूरक सूची का छपाई/मुद्रण तथा 22 फरवरी 2019 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

लावारिश वाहनों के मालिकाना हक हेतु 7 जनवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़। थाना तमनार द्वारा विभिन्न कंपनी के लगभग 23 प्रकार के लावारिस दोपहिया वाहनों के मालिकाना हक हेतु 7 जनवरी 2019 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया है। जनसामान्य वाहनों का अवलोकन तमनार थाना में जाकर कर सकते है एवं अपना वाहन होना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति सुसंगत दस्तावेज के साथ नियत तिथि तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय घरघोड़ा में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय घरघोड़ा में संपर्क कर सकते हैं।

चुनावी खर्च की जानकारी 11 तक साझा नहीं की तो फंस सकते हैं प्रत्याशी

एक कप चाय का भी हिसाब जुड़ेगा खाते में, गलत रिपोर्ट पर बढ़ जाएगी मुश्किलें

रायगढ़। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को एक निश्चित राशि खर्च करने की अनुमति निर्वाचन आयोग से मिला था। किए गए खर्च का हिसाब-किताब अगले महीने के 11 तारीख हर हाल में देना है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तय समय में खर्च की जानकारी नहीं देने पर जिला निर्वाचन विभाग चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों को जानकारी भेज देगा। इसके बाद आयोग तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है। दोबारा मौका या फिर कार्रवाई होगी यह आयोग के ऊपर है।

विस चुनाव नवंबर में हुआ था और नतीजे इसी महीने के 11 तारीख को घोषित किए गए। चुनाव जीतकर आने वाले प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में जीत पक्की होने के इरादे से उतरे थे मगर मैदान नहीं मार सके। सबने अपने-अपने अंदाज से प्रचार किया था और एक लहर बनाने की कोशिश की थी। धुंआधार चुनावी प्रचार अभियान में प्रत्याशियों ने खूब पैसा बहाया था बेनर, पोस्टर से गांवों की गलियों को

पाट दिया था। अब नतीजे आने के बाद चुनाव हारने वाले प्रत्याशी घर बैठ गए हैं। इससे काम नहीं चलेगा और चुनाव के दौरान खर्च हुई राशि को साझा करना पड़ेगा। जिला निर्वाचन विभाग ने 11 जनवरी तक खर्च की जानकारी देने का आखिरी तिथि निर्धारित किया है।

इसके बाद मोहलत नहीं मिलने वाली है। सभी प्रत्याशियों के खर्च का मूल्यांकन होगा और जिसने भी 28 लाख रुपए खर्च सीमा को पार किया होगा उसे कानूनी प्रक्रिया की दौर से गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल आयोग की सख्ती के बाद खर्च की जानकारी देना शुरू कर दिया है।

गलत जानकारी भेजा तो पकड़ में आ जाएंगे

चुनाव के दौरान पेड न्यूज, विज्ञापन के साथ स्टार प्रचारकों की सभा में लगे सामानों पर भी आयोग की तिरछी नजर थी। आयोग के पर्यवेक्षकों की तीन-चार टीम बनाई गई थी। उन सबने अपनी ओर से उनका मूल्यांकन आयोग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर कर लिया है। इसलिए खर्च छिपाने की कोशिश की तो सीधे पकड़ में आ जाएंगे। शायद इसी वजह से खर्च की जानकारी भेजने में लेट होने की बात कही जा रही है।

हाईकोर्ट में दे सकते हैं चुनौती

किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि 28 लाख रुपए से अधिक खर्च करने और चुनाव जीतने पर तत्काल निर्वाचन निरस्त कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी निकटतम प्रतिद्वंदी या विरोधी पार्टी उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। हाईकोर्ट के निर्णय से अगर वह असंतुष्ट होता है तब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकता है। बहरहाल चुनाव हारने वाले निकटतम प्रतिद्वंदियों की नजरें खर्च की जानकारी पर टिकी हुई है।

खरीदी केन्द्र में प्रबंधक ने जमा रखी थी शराब की महफिल, शिक्षक सस्पेंड

रायगढ़। घरघोड़ा के कुडुमकेला समिति में प्रबंधक ने दोस्तों के साथ शराब की महफिल जमा रखी थी। सहायक कलेक्टर की छापामार कार्रवाई में शासकीय शिक्षक भी सार्वजनिक स्थल पर शराब सेवन करते पाया गया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं समिति में मिली गड़बड़ी तथा किसानों से तौल में अधिक धान लेने के बाद प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई करने कहा है। धान खरीदी केन्द्रों में बंपर आवक होने लगी तो प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। बोगस खरीदी को रोकने के लिए कलेक्टर ने समितियों की जांच के आदेश दिए हैं। जिस पर सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एएफओ संतोष दुबे केके साहू एवं फूड इंस्पेक्टर तरूण नायक व राजन कश्यप के साथ जांच के लिए निकले थे। शुक्रवार की देर रात शुरू हुई इस जांच में जब टीम घरघोड़ा एरिया में कुडुमकेला सेंटर पहुंची तो यहां पर प्रबंधक कन्हैया लाल साव, कृष्णा साव एवं शिक्षाकर्मी बसंत कुमार यादव शराब पी रहे थे। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए जाने पर सहायक कलेक्टर ने उनको फटकार लगाई। समिति में स्टाक रजिस्टर एवं किसानों द्वारा बेचे गए धान के रिकार्ड के अनुसार जब जांच की गई तो मौके पर से करीब 1657 क्विंटल धान अधिक मिला लेकिन इस संबंध में प्रबंधक कोई जवाब नहीं दे सका। दरअसल समिति में किसानों से तौल में अधिक धान लेकर यह एकत्र किया गया था। इसी तरह बारदाना गिनती में भी करीब 21 सौ बारदाने कम मिले लेकिन प्रबंधक यहां भी संतोष जनक जवाब नहीं दे सका। समिति में मोटा एवं पतला धान को मिलाकर रखा गया था। धान के भंडारण में स्टेक लगाने के नियमों का भी पालन नहीं किया गया था। जिसके बाद समिति प्रबंधक के खिलाफ शिकायती प्रतिवेदन बनाकर खाद्य विभाग ने कलेक्टर को सबमिट कर दिया है।

बेकाबू कार को बचाने के फेर में पलटी ट्रक बाल-बाल बचा ड्राइवर

रायगढ़। जूटमिल चौकी सारंगढ़ सरायपाली नेशनल के अंतर्गत ग्राम कोड़ातराई में दर्दनाक सड़क दुघर्टना घटित हुई है। गनीमत यह रही कि उक्त घटना में ट्रक में बैठे ड्राइवर व खालसी बाल बाल बच गए। चंद्रपुर की तरफ से आ रहे ट्रक को कार ओवर टेक करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच बेकाबू कार चालक ने बेतरतीब तरीके से कार वाहन का खतरनाक तरीके से चालन करने के कारण ट्रक चालक उक्त कार को साइड देने के चक्कर मे रोड से उतर गई। जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुघर्टना में ट्रक चालक व विक्कू सिंग व खालसी अमरजीत को कोई नुकसान नही हुई।

विभाग बकायादारों पर गिरा रही है गाज तो दूसरी तरफ मनमानी बिल से उपभोक्ता हलाकान

बिना मीटर रीडिंग लिए मनमाना बिजली बिल लोग परेशान

रायगढ़। बिजली विभाग साल के अंतिम माह में एक तरफ बकाया वसूली के लिए ताबड़ तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में बकायादारों पर गाज भी गिराई गई है। जिसका नतीजा यह है कि विभाग का वर्षो से बकाया राशि विभागीय खाते में राजस्व के रूप में आय हुई है।

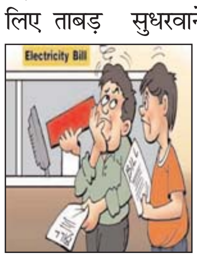

वही दूसरी तरफ बिजली विभाग की मनमानी भी चरम पर है। जिले भर के उपभोक्ता परेशान हैं। आलम यह है कि महीनों मीटर रीडिंग नहीं हो रही है। वही बिना रीडिंग के अनाप शनाप बिल एवरेज के अनुसार भेजा जा रहा है। परेशान लोग बिल सुधरवाने कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हो गए है जिसमे शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं दोनों शामिल है। वही कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारी के नहीं मिलने से बिल भी नहीं सुधर रहा है। जिसमे एक तरफ जहां मानमानी बिल तो दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी नही मिलने से उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की एक जैसी शिकायत है। शहरी क्षेत्र के कुछ मोहल्लों में साल भर से मीटर रीडिंग नहीं हुई है। विभाग की अनाप शनाप बिलिंग को समझ से परे है। जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। जिसमें मजबूरन उपभोक्ता बिल जमा कर रहे हैं।वही परेशान लोग बिल सुधरवाने कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबुर हो गए हैं । आलम यह है कि कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारी के नहीं मिलने से बिल भी नहीं सुधर रहा है। शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की एक जैसी शिकायत है। वही कुछ स्थानों में साल भर से क्षेत्र में मीटर रीडिंग नहीं हुई है। विभाग की अनाप शनाप बिलिंग लोगों के समझ से परे है।

शराब के नशे में आग तापना पड़ा भारी बुरी तरह से झुलसा

रायगढ़ । जूटमिल चौकी क्षेत्र लोकनाथ महंत पिता राजेश उम्र 23 वर्ष मौदहापारा का रहवासी है जो आये दिन शराब के नशे में मदमस्त रहता है। लोकनाथ महंत शराब के नशे में रात्रि 9 बजे के आस पास घर के बाहर ठंड से बचने के लिए अंगेठी के पास बैठा था इस बीच वह नशे में होने के कारण अंगेठी में बदहवास होकर गिर गया। इससे लोकनाथ बुरी तरह से झुलस गया ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480